न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प
भोपतपुरा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः 3/2015 दायर तारीख 23.02.2015
26/2018 05.04.2018

राजेन्द्र कुमार पिता रामेश्वरलाल जाति शर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादी

बनाम

1. जालम पिता भाणा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. सुल्तान पिता कुशाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
3. केशु पिता रतना जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
4. राजू पिता रतना जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
5. उदा पिता रामसिंह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
6. नारायण पिता उदा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णय:— दिनांक 15.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोरधनपुरा प0ह0 भोपतपुरा तह0 बिजौलियां की सरहद में आ0नं0 46 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी है वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नही है। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय नही की है। परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी होने से वादी द्वारा हकाई बुआई के समय लडाई झगडा मारपीट करने पर उतारु रहते है। वादी ने दिनांक 26.06.2014 को वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाई। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर निशाणात कायम किये गये जिनको भी प्रतिवादीगण ने हटा दिये गये। तथा वादी को वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 बिस्वा भूमि पर, प्रतिवादी नं0 2 ने 7 बिस्वा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 3—4 ने 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5—6 ने 2 बिस्वा भूमि पर काश्त नहीं करने दी तथा प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी। प्रतिवादीगण कब्जा हटाने के लिये तैयार नही है। प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा हटाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी को वाद कारण अक्टूम्बर 2013 में जब प्रतिवादीगण ने काश्त नही करने दी एंव दिनांक 26.06.2014 को जब वादी ने वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाई तब उत्पन्न हो सतत रुप से जारी है।

उप खण्ड अधिकारी

साथ ही प्रतिवादी को कब्जा सिर्पुदगी के पश्चात कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण जालम ,उदा, राजू, केशू, नारायण बंजाराण की और से वकील श्री मोहनलाल जोशी ने तथा प्रतिवादी जालम की और से श्री सुनिल जोशी, दिनेश तम्बोली ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। श्री सुनिल जोशी अधिवक्ता ने प्रतिवादी नं0 2 से 6 जवाब प्रस्तुंत नही करना चाहते है। जिससे जवाब प्रतिवादी 2 से 6 बंद किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब में अंकित किया कि वादी के खाते में भूमि गलत रुप से दर्ज किया गया। विवादीत भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने हजारो रुपयो की आर्थिक लागत लगा कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाई है। प्रतिवादी संख्या 1 का विगत 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण स्वतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की 2 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही किया है वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख 1 का विगत 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होकर वर्षो से काबिज है। वादी को उक्त भूमि पर किसी का हक अधिकार व कब्जा काश्त नही है। वादी ने गलत तरीके से खातेदारी प्राप्त की है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। लाखो रुपये लगाकर बंजड भूमि को उन्नत आबाद किया है। वादी जबरन पाष्विक बल के आधार पर उक्त भूमि हडपना चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के स्वतः खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी किसी प्रकार को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नी है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 का लम्बे समय से कब्जा काश्त होकर वर्तमान में गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है। वादी प्रतिवादी सं0 1 से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है। काल्पनिक तारीख अंकित की गई है। अतः वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावें

प्रकरण एकपक्षिय होने से प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाते की नकल पेश की है जो ईएक्स पी–1 है। मौका पर्चा, पत्थरगढी पेश की है जो ईएक्स पी–2 है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1 आया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की खातेदारी भूमि होकर प्रतिवादीगण का कोई संबंध वास्ता नही होकर वादी की आराजीयात से बदखल किये जाने योग्य है।
........जिम्मेवादी

2 आया कि वादी खातेदार काश्तकार होकर विरुद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
........जिम्मेवादी

3 आया कि विवादीत भूमि पर वादी का किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नही है।
........जिम्मेप्रतिवादी सं0 1

4 आया कि वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी सं0 1 का विगत 50 वर्षो अधिक समय से कब्जा हो काबिज है कब्जे के आधार पर प्रतिवादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
........जिम्मेप्रतिवादी सं0 1

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं के बयान के करवाये गये ।

साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू । राजेन्द्र कुमार पिता रामेश्वरलाल शर्मा निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि ग्राम गोरधनपुरा में आ0नं0 46 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा है इस पर में काबिज होकर काश्त करता आ रहा था लगान जमा कराता हुँ। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन के पडोसी है। सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद उत्पन्न हो रहता है। प्रतिवादीगण ने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण पतरिगढी के सीमा चिन्ह को उखाड फेक दीया। प्रतिंवादीगण को बेदखल किया जावे और मुझे कब्जा दिलाया जावे। जगडालू प्रवृती के होने से निषेधाज्ञा भी दिलाई जावे। जिरह में लिखवाया कि जालम के हस्ताक्षर ईएक्सपी–2 पर नही है। जमीन 2013 में खरीदी है नकल जमाबंदी में 5 बीघा 4 बिस्वां का उल्लेख है। 1 बीघा 15 बिस्वा पर रोड बना हुआ है। मौका पर्चा के समय में उपस्थित था। सूल्तान उपस्थित हो तो मुझे जानकारी नही है।

इसके अलावा वादी ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता को भी पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी शहादत प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

प्रतिवादी द्वारा जवाब के अतिरिक्त किसी प्रकार के मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से तनकीवार विवेचन नही किया जा रहा है।

बहस उभयपक्षकरान सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को सव्य खारिज किये जाने की मांग की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया ।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2069 से 72 के खाता संख्या 66 पर राजेन्द्र कुमार शर्मा वादी के नाम वादग्रस्त आराजीयात नं0 46, 63, 71, 72 किता 4 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। ईएक्स पी–2 के अवलोकन से पत्थरगढी के अनुसार आ0नं0 46 में से 2 बिस्वा भूमि पर जालम पिता भाणा बंजारा 2 बिस्वा पर सुल्तान पिता कुशाल बंजारा का 7 बिस्वा पर , केशु राजू पिता रतना बंजारा का 10 बिस्वा पर, उदा नारायण पिता रामसिंह बंजारा का 2 बिस्वा पर अवैध कब्जा पाया गया। उक्त आराजी में 1 बीघा 15 बिस्वा पर वर्तमान में ग्रामीण पक्का रोड बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वादी के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा है। साथ ही वादी ने अपने बयान में अंकित किया कि प्रतिवादीगण वादी के साथ काश्त के समय लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। प्रतिवादी ने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 1 का विगत 50 वर्षो अधिक समय से कब्जा चला आ रहा हैं किन्तु प्रतिवादी ने इस संबंध में किसी प्रकार का मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

शिविर बिजौलिया

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम गोरधपुरा स्थित आ0नं0 46 में से 2 बिस्वा भूमि पर जालम पिता भाणा बंजारा का 2 बिस्वा भूमि पर, सुल्तान पिता कुशाल बंजारा का 7 बिस्वा भूमि पर , केशु राजू पिता रतना बंजारा का 10 बिस्वा भूमि पर, उदा नारायण पिता रामसिंह बंजारा का 2 बिस्वा भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया जाकर जमाबंदी में दर्ज खातेदार को कब्जा सम्भलाने का आदेश तहसीलदार बिजौलियां को दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को लिखवाया जाकर मेजमे आम भोपतपुरा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

15/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प भोपतपुरा)